डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026 आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-43/44, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित 14/21 मई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

प्रदेश में 3 लाख 700 नए आवास स्वीकृत, मनरेगा बजट में भी इजाफा

प्रदेशवासियों के लिए एक और बड़ी सौगात लेकर आई प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्र सरकार ने राज्य को तीन लाख 700 नए पीएम आवासों की स्वीकृति दी है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान यह स्वीकृति पत्र राज्य सरकार को सौंपा। समारोह में 51 हजार हितग्राहियों को नवनिर्मित पक्के घरों की चाबी सौंपी गई, और इनका गृह प्रवेश भी कराया गया।

पात्र हितग्राही परिवार को मिलेगा पक्का मकान

2011 की जनगणना और 2018 की आवास प्लस सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को अब प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे लाखों परिवारों को अब पक्के घर का सपना साकार होता नजर आ रहा है।

मनरेगा में भी बढ़ेगा काम, मिलेगा ज्यादा रोजगार

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और भी सशक्त होंगे, और स्थानीय श्रमिकों को अधिक कार्यदिवस मिल पाएंगे।

अब स्कूटर-बाइक वालों को भी मिलेगा मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। अब जिनके पास स्कूटर-बाइक है या जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित जमीन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। निम्न मध्यम वर्ग के लिए राहतभरा है।

कैबिनेट की बैठक

राज्य के समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को गति देंगे।

मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान

- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का वृहद अभियान।
- स्कूलों की सामाजिक ग्रेडिंग, पालक-शिक्षक संवाद को मिलेगा नया जीवन।
- कमजोर स्कूलों की मॉनीटरिंग, मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण।
- कक्षा शिक्षण पद्धति में सुधार, बच्चों की उपलब्धियों में होगी वास्तविक वृद्धि।

कला साहित्यकारों को मिला नया संबल

- आर्थिक रूप से संघर्षरत कलाकारों और साहित्यकारों को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये की मासिक सहायता।
- वार्षिक पेंशन 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये, 58 लाख से अधिक अतिरिक्त व्यय का राज्य ने लिया भार।

औद्योगिक भूमि आबंटन में पारदर्शिता

- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन।
- निवेशकों के लिए भूमि आबंटन प्रक्रिया होगी आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित।

नई औद्योगिक नीति 2024-30

- स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता: छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को विशेष अनुदान।
- आधुनिक खेती को बढ़ावा: हाइड्रोपोनिक, एयरोपोनिक तकनीकों को मिलेगा सहयोग। शेष पेज 03 पर...

संवाद से सुनिश्चित हुआ समाधान

राज्य का नया प्रशासनिक मॉडल

मुख्यमंत्री श्री साय इन दिनों गांव-गांव पहुंचकर जनसमस्याओं को मौके पर ही हल कर रहे हैं। सुशासन तिहार में सीएम ने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर न केवल जनसंवाद किया बल्कि करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात भी दी।

माथमौर में महुआ पेड़ की छांव तले लगी सीएम चौपाल

सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अचानक माथमौर गांव पहुंचकर महुआ पेड़ की छांव तले चौपाल लगाई। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी ली और कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, नई सड़कों, नायब तहसील कार्यालय और जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की घोषणा की।

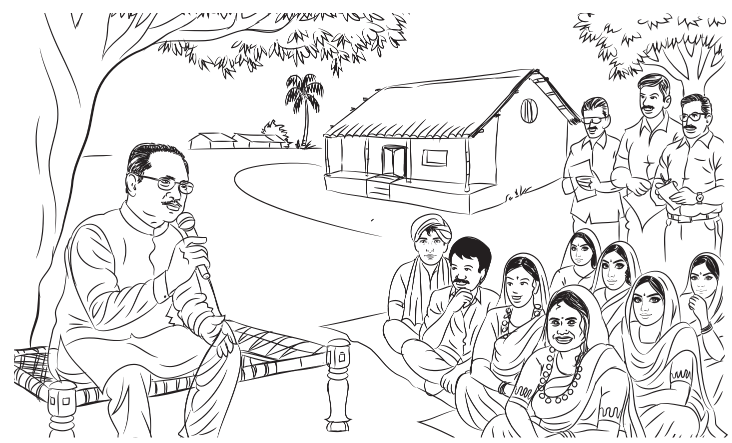

41,02,107
कुल आवेदन

38,27,465 ग्रामीण आवेदन	2,70,104 शहरी आवेदन
31,96,623 शिविर में कुल	2,08,288 शिविर में कुल
4,41,838 पेटी में कुल	37,131 पेटी में कुल
1,89,006 ऑनलाइन में कुल	24,685 ऑनलाइन में कुल

अमराई में मुख्यमंत्री की चौपाल, 48 करोड़ की सौगात

सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पटना की अमराई में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए 48 करोड़ 26 लाख रुपये की विकास योजनाएं समर्पित कीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1460 अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं।

छिंदिया गांव में अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरिया जिले के छिंदिया गांव में बिना पूर्व सूचना के दौरा कर चौपाल लगाई। विद्यालय परिसर के कोसम पेड़ की छांव तले आयोजित संवाद में उन्होंने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, दो सीसी सड़कें, एक सामुदायिक भवन तथा पुलिया निर्माण की घोषणाएं कीं।

मड़ेली गांव में घोषणाएं, 75 करोड़ के विद्युत सब स्टेशन की सौगात

गरियाबंद जिले के मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना, 147 करोड़ रुपये से राजिम-छुरा सड़क चौड़ीकरण और 45 वर्षों से अधूरे पिपरछेड़ी जलाशय परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को स्वीकृति मिल चुकी है।

बलदाकछार में डिजिटल सेवा केंद्र का सीएम ने किया अवलोकन

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम बलदाकछार में मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। शेष पेज 03 पर...

विकास की पटरी पर बस्तर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जताया आभार

रावघाट-जगदलपुर रेललाइन को मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने रावघाट-जगदलपुर नई रेललाइन (140 किमी) परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर 3513.11 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे केंद्र सरकार अपने बजट से वहन करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार प्रकट किया है।

आदिवासी बहुल जिले पहली बार रेल मानचित्र पर

इस रेललाइन के माध्यम से बस्तर संभाग के कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल जिले पहली बार रेल मानचित्र पर स्थान पाएंगे। इससे न केवल यात्रा और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति

रेल कनेक्टिविटी से खनिज संसाधनों के परिवहन, स्थानीय उत्पादों की बाजार तक पहुँच और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में भी जबरदस्त सुधार होगा। यह आदिवासी अंचल अब देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे जुड़ सकेगा। छोटे किसान, हस्तशिल्पकार और वन उत्पाद संग्राहक अपने सामान को बेहतर दामों में बेच सकेंगे।

रिक्रूटमेंट नोटिस

एएआई
पद: जूनियर एग्जीक्यूटिव
पद संख्या: 309
अंतिम तिथि: 25 मई
https://www.aai.aero/

बिहार स्वास्थ्य विभाग
पद: कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर
पद संख्या: 4500
अंतिम तिथि: 26 मई
https://shs.bihar.gov.in/

भारतीय सेना
पद: लेफ्टिनेंट व अन्य
पद संख्या: 30
अंतिम तिथि: 28 मई
http://joinind ianarmy.nic.in/

सीआईएसएफ
पद: हेड कॉन्टेबल
पद संख्या: 30
अंतिम तिथि: 30 मई
https://cisfrec tt.cisf.gov.in/

आर्मर्ड व्हीकल्स निगम
पद: उप-प्रबंधक, प्रबंधक व अन्य
पद संख्या: 18
अंतिम तिथि: 30 मई
Avnl.co.in

इसरो
पद: वैज्ञानिक इंजीनियर
पद संख्या: 31
अंतिम तिथि: 30 मई
Isro.gov.in

एचसीएल
पद: अप्रेंटिस
पद संख्या: 209
अंतिम तिथि: 2 जून
www.apprenti ceshipindia.gov.in

वर्ष-22, अंक-43/44, रायपुर
रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन
निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

बीजापुर के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाया।

यूपीआई से टैक्स वसूली में नई क्रांति
रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला

ग्रामीण यूपीआई के जरिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर, और स्वच्छता कर का घर बैठे भुगतान

छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स व शुल्क की वसूली अब डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इस पहल के तहत अब ग्रामीण यूपीआई के जरिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर, और स्वच्छता कर जैसे भुगतानों को घर बैठे, अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं।

रायगढ़ जिले की 549 ग्राम पंचायतों में इस डिजिटल भुगतान प्रणाली को लागू किया गया है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए यूपीआई क्यूआर कोड्स से ग्रामीण आसानी से अपनी टैक्स की राशि चुका पा रहे हैं। यह पहल न केवल ग्रामीणों के लिए आसान बनी है, बल्कि इससे पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ी है।

पारदर्शिता और आमदनी में वृद्धि

रायगढ़ जिले में इस नई प्रणाली के लागू होने से पंचायतों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिले के तत्कालीन कलेक्टर श्री गोयल ने

बताया कि यूपीआई आधारित टैक्स कलेक्शन प्रणाली के चलते, बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में वसूली में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई पंचायतों में तो टैक्स वसूली दोगुनी हो गई है।

आदिवासी क्षेत्रों में भी डिजिटल समावेशन

रायगढ़ जिले के 07 में से 05 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं, और यहां भी डिजिटल भुगतान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। खास बात यह है कि जिले के 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी इस प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्राम सभाओं में बढ़ी भागीदारी

यूपीआई प्रणाली के लागू होने के बाद, ग्राम सभाओं में भी लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। तीन पंचायतों के ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है, जो दर्शाता है कि अब ग्रामीण पंचायतों के कार्यों में अधिक रुचि ले रहे हैं।

वित्तीय व्यवस्था में सुधार

इस डिजिटल पहल से पंचायतों के खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाता मिलान में भी सुविधा हुई है। अब हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिससे वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गई है।

डिजिटल इंडिया का प्रेरणास्त्रोत

रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलतापूर्वक अमल में लाते हुए, रायगढ़ अब डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन चुका है।

पत्रकारिता विवि : 2 जून से शुरू होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर की सेमेस्टर परीक्षाएं 2 जून से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस बार एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और बीजेएमसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पिछले दिनों छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों से समय-सारणी के अनुसार परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने की अपील की है। परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

इंडियन ओवरसीज बैंक में 400 पदों पर भर्ती, आवेदन 31 मई तक

इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 मई से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। पात्र उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष तय की गई है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। राज्यवार पदों में तमिलनाडु में सबसे अधिक 260 पद हैं। इच्छुक अभ्यर्थी www.iob.in या ibpson-line.ibps.in/ioblboapr25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन ऑयल में 1770 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस के 1770 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती असम, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत और पारादीप रिफाइनरी में होगी। पात्रता के लिए संबंधित ट्रेड में ITI, डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष तय की गई है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून है। इच्छुक उम्मीदवार iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर भर्ती

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून है। उम्मीदवारों के पास एनिमल हसबेंडरी, बॉटनी, फिजिक्स, केमेस्ट्री, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा पुरुषों के लिए 20-37 वर्ष और महिलाओं के लिए 20-40 वर्ष तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह है। आवेदन bpssc.bihar.gov.in पर कर सकते है।

SBI में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 29 मई तक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई 2025 है। उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन और बैंकिंग सेक्टर में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तय की गई है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in या ibp-sonline.ibps.in/sbicboapr25 पर आवेदन कर सकते हैं।

CCIL में 147 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 24 मई तक

कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) ने जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनी सहित कुल 147 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई 2025 है। उम्मीदवारों के पास पदानुसार डिप्लोमा, CA, CMA, MBA या एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से cotcorp.org.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू कर दिए हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, कला, खेल और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल https://awards.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित निवास परिसर से हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और अडानी नैचरल रिसोर्सेस की संयुक्त पहल है। मुख्यमंत्री ने इसे हरित ऊर्जा की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। यह ट्रक खनिज परिवहन में इस्तेमाल होगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। हाइड्रोजन से चलने वाला यह ट्रक पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन साधने में सहायक होगा।

तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, नागरिकों ने दिया एकजुटता और देशभक्ति का संदेश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी हम सभी एक हैं। देश के, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अपनी सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह धराशायी कर दिया। हम सभी अपनी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। आज का भारत नया भारत है, जो किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी, हमारा डंका पूरी दुनिया में बजेगा।

करेगुट्टालू में माओवाद पर निर्णायक प्रहार 31 नक्सली ढेर

बीजापुर जिले की करेगुट्टालू पहाड़ियों में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। 21 दिवसीय संयुक्त अभियान में 31 वर्दीधारी माओवादी मारे गए, 216 ठिकाने ध्वस्त हुए और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे माओवाद पर निर्णायक प्रहार बताया। ऑपरेशन में माओवादियों की तकनीकी इकाइयां भी नष्ट की गईं। दुर्गम क्षेत्र और भीषण गर्मी के बावजूद जवानों ने अदम्य साहस दिखाया। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है।

ग्रामीण आजीविका मिशनः उत्कृष्ट दीदियों का सम्मान

अम्बिकापुर में ''मोर आवास मोर अधिकार'' कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की उत्कृष्ट दीदियों को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सम्मानित किया। वित्तीय लेनदेन, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न जिलों की दीदियों को प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। श्री चौहान ने चार लाख से अधिक दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की भी घोषणा की।

पंजीयन विभाग में 10 क्रांतिकारी सुधारों का हो प्रभावी क्रियान्वयन

प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को संपत्ति रजिस्ट्री में किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों का जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव जैन ने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाना है। इन सुधारों के माध्यम से आम नागरिकों को पंजीयन की सुविधाएं और अधिक आसान और सुलभ तरीके से मिल सकेंगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 मई को पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुधारों का शुभारंभ किया था।

पहले पेज का शेष

कैबिनेट की बैठक

- खेल और प्रशिक्षण केंद्रों को सहयोगः युवाओं को खेलों और स्किल ट्रेनिंग में नए अवसर।
- गुणवत्ता विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन, शिक्षा और कौशल को मिलेगी नई ऊंचाई।
- बस्तर और सरगुजा में पर्यटन बूमः होटल-रिसॉर्ट निर्माण के लिए न्यूनतम निवेश सीमा में कटौती।
- कपड़ा उद्योग को 200% प्रोत्साहन, स्थानीय कारीगरों को मिलेगा सीधा लाभ।
- छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक्स हब, व्यापारियों के लिए होगा आसान संचालन।
- दिव्यांगजनों को मिलेगी नई पहचान, योजनाओं का लाभ और अधिक विस्तृत।
- डिफेंस-एयरोस्पेस और GCC को विशेष पैकेज, प्लग एंड प्ले फैक्ट्री मॉडल को भी प्रोत्साहन।
- CBSE स्कूल व मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल।

संवाद से सुनिश्चित हुआ समाधान

मुख्यमंत्री श्री साय पहुंचे ग्राम मुलेर, सुशासन तिहार छू रहा अंतिम छोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा कर 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत विकास की पहुँच को अंतिम छोर तक पहुँचाया। ग्रामीणों ने पारंपरिक महुआ हार और गौर मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया, राशन दुकान और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए चार लाख, उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापना, सड़क और पुलिया निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वीं रैंक पाने वाली छात्रा रमशिला नाग को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया। ग्राम मुलेर, जो 100% माड़िया जनजाति निवास वाला क्षेत्र है, अब सरकारी योजनाओं से समृद्ध हो रहा है। महिला स्व-सहायता समूह, सौर ऊर्जा, महतारी वंदन योजना जैसी पहल इसे विकास का उदाहरण बना रही हैं।

राष्ट्रीय

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें शपथ दिलाई। 64 वर्षीय जस्टिस गवई ने 65 वर्षीय जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो 13 मई को रिटायर हुए थे। सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा। यानी वे 6 महीने से थोड़े अधिक समय तक पद पर रहेंगे। शपथ के बाद सीजेआई ने अपनी मां कमलताई गवई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति भवन में शपथ के बाद वे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए।

पद्म श्री साया शिवानंद का निधन

योग साधक, आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद का निधन हो गया। वे 128 साल के थे। योग व समाजसेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2022 में उन्हें पद्म श्री से अलंकृत किया गया था। वे लंबे जीवन, सादगी, अनुशासित दिनचर्या और योग-साधना के लिए जाने जाते थे।

नए रजिस्ट्रार जनरल होंगे ठाकुर, निधि ज्यूडिशियल एकेडमी की डायरेक्टर

मनीष कुमार ठाकुर हाईकोर्ट बिलासपुर के नए रजिस्ट्रार जनरल होंगे। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर को दुर्ग का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दो और जिलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार शर्मा कोरबा और सत्येंद्र कुमार साहू जशपुर के नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कुछ और न्यायिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है।

अंतरिक्ष व समुद्र की गहराई तक पहुंची लक्ष्मी मोहनबाबू की कृतियां

केरल के त्रिवेंद्रम में जन्मीं लक्ष्मी मोहनबाबू पहली कलाकार हैं, जिनकी कृतियां अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई दोनों तक पहुंचीं। उनकी आर्ट सीरीज 'इंटरैक्शन' आईएसएस पर गई और 2025 के अंत तक चंद्रमा पर भेजी जाएगी। वहीं, 'इंटरैक्शन क्यूब्स' को 7 किमी गहरे समुद्र तल पर स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। कर्नाटक से वास्तुकला की पढ़ाई के बाद फिलहाल सिंगापुर में हैं।

जातिगत गणना के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहींः केंद्र

जाति आधारित जनगणना पर चल रही चर्चाओं के बीच अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 70 साल पुराने जनगणना कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। 1948 का यह कानून केंद्र सरकार को जनगणना फॉर्म में किसी भी जानकारी मांगने की अनुमति देता है। ब्रिटिश शासनकाल में 1881 से 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती थी। आजादी के बाद 1951 में केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती हुई। 1961 में केंद्र ने राज्यों को ओबीसी सूची के लिए स्वतंत्र जाति सर्वेक्षण की अनुमति दी। अब, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मांगों के चलते केंद्र ने अगली जनगणना में जाति आधारित गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जनगणना अधिकारी निर्देशित प्रश्न पूछ सकते हैं और नागरिकों को उत्तर देना अनिवार्य है, जब तक कि वैध अपवाद न हो।

सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का सेवा विस्तार

सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा था। सूद ने 25 मई, 2023 को दो साल के कार्यकाल के लिए 'सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था।

चंद्रमा पर होंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री के पदचिन्ह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और अब भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के कदम चांद पर पहुंचेंगे। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में मोदी ने कहा कि देश में अन्वेषण के मिशनों में मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर हैं।

सड़क हादसों के घायलों का डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज

केंद्र सरकार ने सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए देशभर में कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। इसके तहत हादसे में घायल को अधिकतम डेढ़ लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार के चिह्नित अस्पतालों में पहले सात दिन के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। योजना पांच मई से लागू हो गई हैं। सड़क पर मोटर वाहन से हादसे का शिकार कोई भी व्यक्ति इसके तहत कैशलेस उपचार का हकदार होगा।

नौसेना को सौंपे गए युद्धपोत अर्नाला

पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना को आठ उन्नत पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज (एएसडब्ल्यू) में से पहला आईएनएस अर्नाला को मिल गया। 77.6 मीटर लंबे व 10.5 मीटर चौड़े एएसडब्ल्यू नौसेना की उन तटीय क्षेत्रों में गश्त की क्षमता बढ़ाएंगे, जहां दुश्मन की पनडुब्बियां छिपी हो सकती हैं। साथ ही, यह तटीय जल की पूरी निगरानी करने के साथ खोज एवं हमला करने में भी सक्षम हैं। अर्नाला जहाज भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के एएसडब्ल्यू जहाजों का स्थान लेंगे।

रूसी एस-400 बना भारत का सुदर्शन चक्र

भारत को रूस से मिले एयर डिफेंस सिस्टम एस 400 ने पाकिस्तान की ओर जम्मू-कश्मीर और पंजाब में किए गए हमले को विफल करते हुए आठ मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने सीमा से सटे कई शहरों मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन एस-400 ने हर हमले को विफल कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर और पंजाब में किए गए हमले को विफल करते हुए पाकिस्तान की आठ मिसाइलों को नष्ट कर दिया।

पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन

पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह पद 29 अप्रैल को पूर्व चेयरपर्सन प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुआ था। वे केरल कैडर से 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय

रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप, लियो 14वें के नाम से जाने जाएंगे

अपना पूरा जीवन पेरू में सेवा करते हुए बिताने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने वेटिकन के बिशप के प्रभावशाली दायित्व को संभाल लिया और कैथोलिक चर्च के दो हजार साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका से पोप चुने गए। ऑगस्टीनियन धार्मिक आदेश के सदस्य प्रीवोस्ट (69) ने अपना नाम लियो 14 रख लिया। पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के रूप में सेंट पीटर्स बेसिलिका के बरामदे से बोलते हुए अपने पहले संबोधन में लियो ने कहा, 'शांति आपके साथ हो'। उन्होंने शांति, संवाद और धर्म प्रचार के संदेश पर जोर दिया।

वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी से दोगुना बड़ा ग्रह

खगोल विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल से बाहर पृथ्वी से करीब दोगुने आकार का एक नया ग्रह खोजा है जिसे सुपर-अर्थ की श्रेणी में रखा गया है। यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा उस दूरी से कर रहा है जो हमारे सौरमंडल में शनि ग्रह की कक्षा से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सौरमंडल से परे सुपर-अर्थ ग्रहों की भरमार है। इस खोज को हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (सीएफए) के खगोलविदों ने अंजाम दिया है, जो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं। सुपर-अर्थ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक लेकिन नेपच्यून से कम होता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल दोगुना, 45 लाख करोड़ का लाभ

गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करें तो वे हर साल औसतन 122 घंटे बचा सकते हैं। यह रिपोर्ट ब्रिटेन में किए गए पायलट कार्यक्रमों पर आधारित है। गूगल का मानना है कि अगर कर्मचारियों को एआई इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और उन्हें कुछ घंटे की ट्रेनिंग दी जाए तो एआई को अपनाने दर दोगुनी हो सकती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को 44.90 लाख करोड़ का लाभ हो सकता है। गूगल ने बताया कि एआई के सरल उपयोग और प्रशिक्षण से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है।

बलूचिस्तान में राष्ट्र वादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की

बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। इस क्षेत्र में दशकों से चल रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला दिया। सोशल मीडिया पर स्वतंत्र बलूचिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रीय ध्वज और मानचित्र की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। प्रमुख बलूच नेता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग करते हुए तथा बलूचिस्तान, पाकिस्तान नहीं है की घोषणा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। श्री मीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील की है।

भारत की आपत्ति, बुद्ध से जुड़े आभूषणों की नीलामी स्थगित

भारत सरकार की आपत्ति के बाद 'सूदबी' ने बुद्ध के अवशेषों से संबंधित आभूषणों की नीलामी स्थगित कर दी। नीलामी कंपनी 'सूदबी' ने बताया कि नीलामी के लिए रखे गए रत्न ऐतिहासिक रूप से बुद्ध के भौतिक अवशेषों के साथ दफनाए गए थे और 1898 में ये उत्तरी भारत में खोजे गए थे। भारत बुद्ध से संबंधित रत्नों को भारत सरकार को वापस लौटाने और नीलामी कंपनी तथा क्रिस पेप्पे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

मस्क की स्टारलिंक को सेटकॉम सेवाओं के लिए मंजूरी

अरबपति एलन मस्क के सहयोग वाली स्टारलिंक को भारत सेटकॉम सेवा के लिए सरकार की सहमति मिली क्योंकि दूरसंचार विभाग ने इसके लिए आशय पत्र जारी किया है। स्टारलिंक सुरक्षा शर्तों पर राजी हो गया है। अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता एवं अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक को विकसित किया है, जो कि एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है। कंपनी को 2002 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति मस्क ने स्थापित किया था।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता

भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण 'मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)' और 'दोहरा योगदान सम्मेलन समझौते' को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देगा और कई क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टार्मर से बातचीत के बाद इसकी घोषणा की। एफटीए एक ऐसा समझौता है, जिसमें दो देश एक-दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आसान और सस्ता बनाते हैं।

रियाद में खाड़ी के नेताओं के साथ मिले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद् के बीच शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रूप से शुरु होने के मद्देनजर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रियाद में खाड़ी के नेताओं के साथ शामिल हुए। उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वांशिंगटन और इसके खाड़ी के मुख्य सहयोगियों के बीच रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करना और सहयोग को बढ़ाना है।

पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा द न्यूयार्क टाइम्स को 4 कैटेगरी में पुरस्कार

पत्रकारिता के क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मान पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा हो गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज्यादा चार श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या की कोशिश वाला फोटो भी शामिल है। इलॉन मस्क से जुड़े खुलासे के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट को भी पुरस्कृत किया गया है। पत्रकारिता के लिए विभिन्न श्रेणियों में 15 और कला क्षेत्र में 8 पुरस्कार दिए गए हैं।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

आईपीएल में ज्यादा फिल्म स्टार्स को विज्ञापन, शाहरूख खान से आगे अनन्या पांडे

आईपीएल के 18वें सीजन में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का ट्रेड बदला हुआ नजर आया। इस बार फिल्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे सबसे ज्यादा विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी बनकर उभरी। टीएएम स्पोर्ट के डेटा के मुताबिक आईपीएल 18 के पहले 37 मैचों में अनन्या ने कुल विज्ञापन वॉल्यूम का 9 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया है। उन्होंने आईपीएल 17 के टॉप एंडोर्सर शाहरूख खान को भी पीछे छोड़ दिया। शाहरूख इस बार 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रहे।

ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा

दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 24 जून को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चोटों के कारण पिछले दो चरण में नीरज नहीं खेल पाए थे। टोक्यो ओलिंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को टूर्नामेंट के 2023 और 2024 चरणों में भाग लेना था, लेकिन दोनों मौकों पर चोटों के कारण बाहर हो गए।

केदारलिंग ने जीता एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक

सेना के निशानेबाज केदारलिंग बालकृष्ण उचागांवे ने 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके साथी अजय कुमार अंबावत ने रजत पदक हासिल किया। नौसेना के उज्जवल मलिक ने कांस्य पदक जीता।

आर्यना सबालेंका ने जीता करियर का 20वां खिताब

विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ को सीधे सेटों में हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और करियर का 20वां खिताब जीता। सबालेंका ने पहले सेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और काजा मैजिका क्ले कोर्ट पर अमेरिकी खिलाड़ी को 6-3, 7-6 (3) से हराया। सबालेंका ने 2021 और 2023 में मैड्रिड में खिताब जीता था। इस तरह से उन्होंने पेट्रा क्वितोवा के टूर्नामेंट रिकॉर्ड की बराबरी की। ब्रिस्बेन और मियामी के बाद यह सबालेंका का इस वर्ष का तीसरा खिताब भी है।

खेलो इंडिया युवा खेलों में ई स्पोर्ट्स का पदार्पण

ई स्पोर्ट्स ने खेलो इंडिया युवा खेलों में नुमाइशी खेल के रूप में पदार्पण किया और मेजबान बिहार ने विभिन्न स्पर्धाओं में शीर्ष तीन में जगह बनाई। इस खेल में आठ राज्यों ने भाग लिया जिसमें बीजीएमआई, शतरंज, स्ट्रीट फाइटर 6 और ई फुटबॉल की स्पर्धायें हुईं। सभी वर्गों में बीजीएमआई भारत में सबसे लोकप्रिय ई खेल है। हर प्रदेश की 16 टीमों ने इसमें भाग लिया। बिहार की ए और बी टीम पहले और तीसरे स्थान पर रही जबकि तमिलनाडु ए टीम दूसरे स्थान पर रही। ई फुटबॉल में तमिलनाडु के अर्णव राजीव पारिख विजयी रहे जबकि बिहार के तनक राज दूसरे और महाराष्ट्र के रोनित सागर तीसरे स्थान पर रहे। शतरंज में बिहार के रूपेश बी रामचंद्र पहले और अमृत रौनक दूसरे तथा महाराष्ट्र के मोहित कमलेश थानवी तीसरे स्थान पर रहे।

पिकॉल्ट, सुआरेज, मेसी ने गोल करके मियामी को दिलाई जीत

स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने अपनी ख्याति के अनुरुप प्रदर्शन करते हुए एक गोल किया और एक गोल करने में मदद की। इंटर मियामी ने मेजर सॉकर लीग फुटबाल टूर्नामेंट में न्यूयॉर्क रेड बुल्स को 4-1 से हराया। मेसी ने खेले गए मैच में 67वें मिनट में गोल किया। इससे पहले पिकॉल्ट ने नौवें मिनट में गोल करके मियामी को 1-0 की बढ़त दिलाई। मार्सेलो वेइगांडू ने 30वें मिनट में और लुई सुआरेज ने 39वें मिनट में गोल करके मियामी को 3-0 की बढ़त दिला दी थी।

पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टोमन भारतीय टीम में शामिल

छत्तीसगढ़ के पैरा तीरंदाज टोमन कुमार ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। चीन में जून में होने वाले टूर्नामेंट से पहले सिलेक्शन ट्रायल दिल्ली में हुआ। इसमें टोमन ने तीन राउंड में 867 स्कोर कर टॉप-2 में जगह बनाई।

ब्राजील में पहली बार वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप

फीफा ने 2027 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील के आठ मेजबान शहरों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि उद्घाटन और फाइनल मुकाबले कहां खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक चलेगा। ये शहर 2014 में पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुके हैं। इनमें रियो का प्रतिष्ठित माराकाना स्टेडियम भी शामिल है। ब्राजील में पहली बार महिला वर्ल्ड कप होगा।

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 123 टेस्ट में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए और भारत के चौथे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बने। कोहली ने 68 टेस्ट में भारत की कप्तानी की, जिनमें 40 में जीत हासिल की। उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 2019 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीती। इससे पहले वे टी20 अंतरराष्ट्रीय से भी संन्यास ले चुके हैं। उनका आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था।

रोहित का टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास

रोहित ने सोशल मीडिया पोस्ट में संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने लिखा- "हैलो! मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर हो रहा हूं। सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात रही है। सालों तक मिले आपने प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट में खेलना जारी रखूंगा।' रोहित का यह एक साल के भीतर दूसरा संन्यास है। उन्होंने पिछले साल जून में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था।

कार्यालय अधिष्ठाता
पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/चिकि./बायोटेक./ 9104/2025 रायपुर, दिनांक 05/05/2025

आवेदन फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 30.06.2025

प्रवेश सूचना
एम.एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालॉजी कोर्स सत्र 2025-26

आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि- 30.06.2025

चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा बायोकेमेस्ट्री विभाग में संचालित एम.एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालॉजी कोर्स में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस.. बी.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी/बी.एस-सी. लाइफ साइंस /एलाएड विषय रखी गई है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जिसके प्राप्तांक की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा। अधिकतम 10 सीटों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार 5 सीट अनारक्षित (04 मुक्त, 01 महिला), 1 सीट अनुसूचित जाति, 3 सीट अनुसूचित जनजाति एवं 1 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है, जो कि छ.ग. शासन समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 के अनुसार सभी नियुक्तियाँ और चयन परीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के S.L.P.(C) Si. No.19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया :-

1. प्रवेश आवेदन फार्म 15 मई, 2025 से 30 जून, 2025 के सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. **प्रवेश फार्म शुल्कः** अनारक्षित वर्ग के लिए रू. 400/- नगद भुगतान अथवा डाक द्वारा रू. 450/-(50 रू. डाक खर्च) का डिमांड ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षित वर्ग के लिए रू. 200/- नगद भुगतान अथवा डाक द्वारा रू. 250/- (50 रू. डाक खर्च) का बैंक ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (Dean & C.E.O., Pt. J. N. M. Medical College, Raipur) के नाम पर देय होगा।
3. आवेदन पत्र, अधिष्ठाता, पं. ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 रखी गई है। आवेदन पत्र के साथ प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 1500/- (अनारक्षित वर्ग हेतु) अथवा रू. 750/- (आरक्षित वर्ग हेतु) का बैंक ड्राफ्ट जो अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम पर देय हो, जमा करना होगा। लिफाफे के ऊपर "एम.एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालॉजी कोर्स सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदन" लिखना अनिवार्य है। (स्पष्ट पता एवं फोन नं./मोबाइल नं./ ईमेल को आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शावे)।
4. प्रवेश परीक्षा 08 जुलाई, 2025 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 से 01:00 बजे तक पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में आयोजित होगी। प्रावीण्य सूची, काउंसिलिंग एवं प्रवेश संबंधित जानकारी की सूचना अलग से दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ प्रवेश विवरणिका में उद्धृत है।
5. चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है।

डाक से फार्म मंगाने हेतु अपना पता स्पष्ट देते हुए कोर्स प्रभारी, एम.एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम, बायोकेमेस्ट्री विभाग, पं. ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को पत्राचार करें। डाक सेवा से आवेदन फार्म का गुम होने या विलम्ब होने की दशा में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिष्ठाता
पं. ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.34/जी-252600697/5

कार्यालय आबकारी आयुक्त, रायपुर
(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़)
(ई-मेल-excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेबसाईट https://excise.cg.nic.in)

क्रमांक / आब./स्था (अराज.)/2025/2877 **नवा रायपुर, दिनांक 05/05/2025**

आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट-https://vyapamcg.egstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।

पदनामः छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) आबकारी आरक्षक-भर्ती परीक्षा, 2025

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल योग रिक्तियों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200-20200 +1900

टीपः- 1. छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिये निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिये आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
3. विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यकम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट- https://vyapameg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।
4. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

आर.ओ.35/जी-252600696/6 **अपर आयुक्त आबकारी**

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन खण्ड तीन प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर

फोन नम्बर- 0771-2331385, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com

"शिक्षा सत्र 2025-26 में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला-गौरेला-पेण्ड्रा, मरवाही में डी.पी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश"

शिक्षा सत्र 2025-26 में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में डी.पी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पुरूष तथा महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 10 जून 2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं:-

1-उपलब्ध सीटें:-

क्रमांक	पाठयक्रम	उपलब्ध सीटे	
1	बी.पी.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यकम) बिलासपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध	पुरुष- 35	महिला- 15
2	डी.पी.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यकम) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध	पुरुष- 35	महिला- 15

टीपः-

(1) विभागीय उम्मीदवार भी इन्ही निर्धारित सीटों से लिया जाना है।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 द्वारा नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने के अंतरिम अनुमति प्रदान की है। साथ ही बिन्दु कमांक 3 मे दिये गये निर्देश अनुसार सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि, "माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी"।

2- आरक्षण प्रतिशतः

अनुसूचित जाति	12 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	32 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग-	14 प्रतिशत

3- प्रशिक्षण की अवधि

शिक्षा सत्र में प्रशिक्षण दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 अप्रैल 2027 तक होगा। (दो शैक्षणिक वर्ष)

4- आयु सीमा

अ- **बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु** छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

ब- **डी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु** दिनांक 01.07.2025 को आवेदक/आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

स- शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति अथवा पिछड़ा वर्ग को आयु में छूट मिलेगी।

द- विभागीय उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए साथ ही सक्षमता पूर्वक प्रशिक्षण करने में समर्थ हो।

5- शैक्षणिक योग्यता डी.पी.एड.:-

1-डी.पी.एड. हेतु हायर सेकेण्डरी परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2-05 प्रतिशत अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जावेगी, जिन्होने अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय / एसजीएफआई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो।

3-अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशत और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों व अन्य श्रेणी के लिये सीटों के आरक्षण और अंकों में छूट केन्द्रीय शासन / राज्य शासन के नियमानुसार जो भी लागू हो प्रदान किया जावेगा।

6- शैक्षणिक योग्यता बी.पी.एड. :-

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम ए.आई.यू/ आई. ओ.ए./एस.जी.एफ.आई/भारत शासन द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेल कूद का अंतर विश्व विद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय वैकल्पिक विषय मे शारीरिक शिक्षा को अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई/ भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम / द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हों।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री में 45 प्रतिशत अथवा संबंधित संघो/ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम 03 वर्षों का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्ति/सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए) अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/ कोच ।

टीप- भारत शासन / राज्य शासन द्वारा आरक्षित वर्ग के लिए उक्त शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी ।

6- शुल्क

प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा निर्धारित दर पर सम्बंधित को शिक्षण तथा अन्य शुल्क देय होगा।

7- आवेदन की प्रक्रिया

संलग्न आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप पूर्णरूप से भरे गये आवेदन पत्र दिनांक 10 जून 2025 तक कार्यालय प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही में प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र उल्लेखित पते पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:-

1- हायर सेकेण्डरी / स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

2- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

3- खेलकूद से सम्बंधित प्रमाण पत्र।

4- एन.सी.सी/योगा/एन.एस.एस./ स्काउट एवं गाइड / शारीरिक दक्षता अभियान / जूनियर रेडकास आदि के प्रमाण पत्र।

5- अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

8- चयन समिति

चयन समिति निम्नानुसार रहेगी:-

1	संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि	- अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	- सदस्य
3.	प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेन्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही	- सदस्य सचिव

9- चयन प्रक्रिया

चयन समिति के अध्यक्ष की अनुमति से चयन कार्य सम्पादन हेतु विशेषज्ञों को साक्षात्कार एवं व्यावहारिक परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार सहयोग ले सकेंगे। चयन समिति द्वारा विभागीय उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप में अर्जित अंकों की वरीयता के अनुसार किया जावेगा।

क्रमशः

अ- चयन स्थल एवं चयन की तिथि (संभावित)-

चयन स्थल	चयन तिथि	अभ्यर्थी
शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेन्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)	26 जून 2025	विभागीय पुरूष वर्ग /विभागीय महिला वर्ग
	27 जून 2025	स्वाध्यायी पुरूष वर्ग
	28 जून 2025	स्वाध्यायी महिला वर्ग

ब- चयन हेतु मापदण्ड

शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेन्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में प्रवेश हेतु निम्नानुसार कियाकलाप में अंक निर्धारित है-

क्रमांक	इवेन्टस	अंक
1	100 मीटर दौड़	100
2	800 मीटर दौड़	100
3	लम्बी कूद	100
4	ऊँची कूद	100
5	गोला फेंक	100
6	मौखिक साक्षात्कार	40
7	शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों के अभिलेख	60
8	दीर्घ खेल कौशल परीक्षण-फुटबाल, बास्केटबॉल, किकेट, हॉकी, जूडो, कुश्ती	100
9	लघु खेल कौशल परीक्षण कबड्डी, खो-खो, व्हालीबॉल, हैण्डबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन	100
	योगः-	800

टीप-

1- दीर्घ खेल कौशल तथा लघु खेल कौशल में अंकित खेलों में से अभ्यार्थियों को एक-एक खेल का चयन कर खेल कौशल का परीक्षण देना अनिवार्य है।

2- अभ्यार्थी के आवेदन पत्र में सरल कमांक 12 एवं 13 में रूचि अनुसार दीर्घ / लघु खेल को अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

3- चयन प्रक्रिया में सबसे पहले प्रमाण पत्रों तथा अभिलेखों की जाँच के उपरान्त शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा और अंत में प्रत्याशियों को समिति के समक्ष साक्षात्कार देना होगा। यदि प्रत्याशी शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा खेल कौशल परीक्षण में असफल रहते हैं तो उन्हें मौखिक साक्षात्कार का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

4- चयन समिति द्वारा महिला व पुरुषों की अलग-अलग चयन सूची तैयार कर अनुशंसा सहित संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा। अनुमोदित चयन सूची प्राचार्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेन्ड्रा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को भेजी जायेगी। प्राचार्य उक्त सूची के आधार पर अभ्यार्थियों को प्रवेश देने की कार्यवाही करेंगे। विवाद की स्थिति में संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

5- अशासकीय संस्थाओं के सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षिका खुली प्रतियोगिता के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

6- आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पठनीय हो।

संचालक
लोक शिक्षण
छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय,
पेन्ड्रा जिला- गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)

आवेदक यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें

1 पाठ्यक्रम का नाम :-------------------------------
2 आवेदक का पूरा नाम :-------------------------------
3 पिता का नाम :-------------------------------
4 लिंग (पुरूष/महिला) :-------------------------------
5 जाति :-------------------------------
(अनु जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
6 स्थायी पता :-------------------------------
:-------------------------------
7 पत्र व्यवहार का पता :-------------------------------
8 जन्म तिथि (अंको में) :-------------------------------
(शब्दों में) :-------------------------------
9 शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का स्तर	बोर्ड/विश्वविद्यालय	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत
1	हायर सेकेण्डरी				
2	स्नातक उपाधि				
3	अन्य				

10 खेलकूद/योगा/एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट/गाइड आदि में यदि प्राप्त प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करें ।
11 अन्य कोई विशेष योग्यता हो तो संलग्न करें ।
12 दीर्घ खेल कौशल का नाम 1--------2----------3---------
13 लघु खेल कौशल का नाम 1--------2----------3---------

स्थान--------------
दिनांक-------------

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ---------------------
पूरा पता----------------------------
मो.नंबर---------------------------

आर.ओ.36/जी-252600855/6

कार्यालय संभागीय सेनानी, नगर सेना, रायपुर संभाग, रायपुर (छ०ग०)

दूरभाष क्रमांक 0771-2426825, ईमेलः- divicommandant@gmail.com

"सूचना"

छत्तीसगढ़ होमगार्ड के रायपुर संभाग में 315 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 200 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी हेतु) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना

होमगार्ड विभाग के रायपुर संभाग में 315 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 200 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष-2024 में शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा संभागीय केन्द्र रायपुर में आयोजित की गई थी। जिसमें पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये चयनित किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट https://firenoc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिये छ०ग० व्यापम वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in के लिंक में जाकर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा आबंटित एप्लीकेशन आईडी एवं जन्मतिथि डालकर अभ्यर्थी छ०ग० व्यापम की वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे। व्यापम द्वारा पंजीयन नंबर पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। जिन पात्र अभ्यर्थी द्वारा छ०ग० व्यापम के वेबसाईट में जाकर पंजीयन एवं आवेदन सबमिट नही किया जायेगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा होमगार्ड विभाग के वेबसाईट पर पूर्व में जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नही होगी। व्यापम की वेबसाईट पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य है लिखित परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1.	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	-	16.04.2025 (बुधवार)
2.	व्यापम वेबसाईट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	-	30.05.2025 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3.	परीक्षा की संभावित तिथि	-	22.06.2025 (रविवार)
4.	परीक्षा का समय	-	पूर्वान्ह (02 घण्टे)
5.	परीक्षा पत्र जारी करने की तिथि	-	13.06.2025 (शुक्रवार)
6.	परीक्षा केन्द्र	-	रायपुर

संभागीय सेनानी
नगर सेना एवं एस.डी.आर.एफ.
रायपुर संभाग, रायपुर

आर.ओ.37/जी-252600628/5

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष:-07781-252288, Email: ceozpnarayanpur@gmail.com

क्रमांक/837/ जि०पं०/स्था./RGSA भर्ती/2024-25 नारायणपुर दिनांक 09/05/2025

-: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन:-

पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ विकास भवन, सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, भूतल नया रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश कमांक / पंचा/ RGSA/144B/2025/762 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 13.03.2025 एवं पत्र कमांक/पंचा/ RGSA/144B/2025/771 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एव योग्यता रखने वाले अर्हताधारी एव इच्छुक अभ्यर्थियो के लिए आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-नारायणपुर के नाम से दिनांक 26.05.2025 सायं 5:00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जायेगे। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

पद का विवरण :-

क्रमांक	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कुल पद
1	2	3	4
1	जिला समन्वयक	01 अना. (मुक्त)	01
2	संकाय सदस्य जिला स्तर	01 अजजा (मुक्त)	01

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम, शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेवसाईट www.narayanpur.gov.in & www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्ते :-

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक:-

क्र.	पदनाम	मासिक वेतन	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	जिला समन्वयक	एकमुश्त 44,450-	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./ बी.टेक(कम्प्यूटर सांईस/आईटी)/एम.सी.ए./बी. एस.सी.(कम्प्यूटर सांईस/ आईटी) में न्यूनतम 60% अंक। 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं मे क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार-70%	70
				शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा (एम. एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार-20%	20
2	संकाय सदस्य जिला स्तर पर पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC)	एकमुश्त 31,750	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण। 2. कम से कम 01 वर्ष शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार-70%	70
				शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार-20%	20

नियम व शर्ते :-

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. संविदा नियुक्ति अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. संविदा अवधि में छ०ग० सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्ति के पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है. एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
6. सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश/ निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागु होंगे।
9. आयु की गणना दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में किया जाएगा।
10. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मान्य होगा।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
12. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होंगे।
14. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को ही मान्य किया जायेगा।
17 यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31.12.2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगे।
18. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगे।
19. **नियुक्ति का तरीका:-**

i कुल प्राप्त आवेदनो को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची तैयार की जायेगी।

ii. जिला समन्वयक के पद हेतु पात्र अभ्यर्थी के लिए चयन हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार

अंक निर्धारण	
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार-70%	**70**
शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	**10**
पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार-20%	**20**

संकाय सदस्य के पद हेतु पात्र अभ्यर्थी के लिए चयन हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

अंक निर्धारण	
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार-70%	**70**
शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	**10**
पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार-20%	20

क्रमशः

किया जायेगा :-

उक्त आधार पर सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा।

ii उपरोक्त सूची के आधार पर अभ्यर्थीयों को विज्ञापित पद के लिये रिक्त पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थीयों को (1:10 मान से) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए बुलावा पत्र ईमेल, रजिस्टर्ड डाक तथा व्हाट्सएप्प के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। तद्उपरांत कौशल एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जावेगा एवं 05 आवेदकों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर कार्यालय में संधारित मेरिट प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा, जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

iii मूल प्रमाण पत्रों का जांच/कौशल एव लिखित परीक्षा उपरात योग्य अभ्यार्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

iv. कौशल एवं लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अनुपस्थिति के दशा में नियुक्ति हेतु अपात्र माना जायेगा।

v. चयनित अभ्यार्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।

19. आवेदक का आवेदन दिनांकः **26/05/2025** को सायं **05:00** बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक से जिला पंचायत नारायणपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।

20. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

21. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

22. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ०ग०)
:: आवेदन पत्र का प्रारूप :-

जिस पद के लिए आवेदन किया जा है,
का पदनाम.................................

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत नारायणपुर

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :----------------
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :----------------
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :----------------
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :----------------
3. लिंग (पुरूष/महिला) :----------------
4. जन्म तिथि (अको में) (शब्दों में) :----------------
5. दिनांक 01.03.2025 को आयु वर्ष---माह---दिन---
6. जाति/वर्ग (अजजा /अजा/अपिव/अनारक्षित) :----------------

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि/संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

7. शैक्षणिक योग्यता का विवरणः-
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :-----------------
9. स्थायी पता :-----------------
   :-----------------
10. पत्र व्यवहार का पूरा पता :-----------------
    :-----------------
    :-----------------
11. फोन / मोबाईल नम्बर :-----------------
12. ई-मेल आई डी :-----------------
13. अनुभव का विवरणः-

क्र	विभाग का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
1	2	3	4	5	6	7

14. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते है यदि हां तो।
    श्रेणी :-----------------
15. वैवाहिक स्थिति :-----------------
    क. विवाहित/अविवाहित :-----------------
    ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें: :-----------------
    विवाह का दिनांक :-----------------
    ग. परिवार के संतान का विवरण :-----------------

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1 अनिवार्य अनुभव हेतु सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट

2.....................3 ....4 ....5..............6 ....

7 ....8 ....9..............10 ....11 ....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना बताए मेरे आवेदन/चयन नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांकः------------
स्थान :------------

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पूर्ण पता)

जिला सेनानी नगर सेना, राजनांदगाँव

"छत्तीसगढ़ होमगार्ड के 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिको (जनरल ड्यूटी हेतु) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना"

होमगार्ड विभाग द्वारा 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 22.06.2025 (रविवार) को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा राज्य के 04 जिलें रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में संपादित की जावेगी। पात्र अभ्यर्थियों को छ०ग० व्यापम के वेबसाइट https://vy-apamcg.cgstste.gov.in लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन आवेदन सबमिट करना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 30.05.2025 सायं 05.00 बजे तक है।

जिला सेनानी
नगर सेना, राजनांदगाँव

आर.ओ.38/जी-252600851/4

कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर, छत्तीसगढ़

दूरभाष कार्यालय 07853-220395, ईमेल zpbijapur.cg@nic.in

क्रमांक/210/जि.पं. / स्था./2025-26 बीजापुर, दिनांक 30/04/2025

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/पंचा/RGSA/144B/2025/762 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनाँक 13/03/2025 के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पद जिला समन्वयक, DPM-RGSA की पूर्ति हेतु अधोवर्णित पद के लिए निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से दिनांक 30/05/2025 सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कुल पद	रिमार्क
		अनारक्षित (मुक्त)		
1	2	3	4	5
1	जिला समन्वयक (DPM-RGSA)	01	01	

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं :-

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनाँक 30/05/2025 को अपरान्ह 5:00 तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में आमंत्रित किये जाते है। व्यक्तिगत रुप से, सीधे अथवा ई-मेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नही किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
7. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क.एफ,9-1/2012/1-3/दिनाँक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
9. संविदा नियुक्त अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व की सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रुप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान, या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
13 पिछले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा लिए बुलाया जायेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा।
14. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। अन्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।
16. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
17. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
18. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
19. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
21. आवेदन का विस्तृत प्रारुप कार्यालयीन सूचना पटल के अतिरिक्त जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है।
22. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. पद की न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता-

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन रू. में	निर्धारित अर्हता	100 अंकों का मेरिट हेतु निर्धारण	
1	जिला समन्वयक (DPM-RGSA)	44450/- एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. ई/बी.टेक (कम्प्यूटर साईन्स/आईटी) / एम.सी.ए. / बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईन्स/आईटी) में न्यूनतम 60% अंक । 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार 70%	70
				शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक अधिकतम 10 अंक)	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एम.एस.ऑफिस) के अंकों का अधिभार 20%	20

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बीजापुर

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नामः---------------------------
संबंधित जिला का नामः-------------------------

अभ्यर्थी नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो चिपकायें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत------------
पता-------------------

1. अभ्यर्थी का नाम अ. हिन्दी में :-----------------------------
   ब. अंग्रेजी में :-----------------------------
2. पिता/पति का नाम :-----------------------------
3. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :-----------------------------
4. जन्मतिथि अ.अंको में :-----------------------------
   ब. शब्दों में :-----------------------------
   स. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्षः------माह-----दिन-----
   (हाई स्कुल सर्टिफिकेट 10 वीं परीक्षा का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
5. वर्ग (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य):-----------------------------
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :-----------------------------
   :-----------------------------
   :---------------------------
   :----------------------------
   :----------------------------
7. स्थायी पता (हिन्दी में) :-----------------------------
   :-----------------------------
   :-----------------------------
   :-----------------------------
   :-----------------------------
   :-----------------------------
8. मोबाईल नंबर :----------------------

क्रमशः

9. ई-मेल आई डी :------------------------------
10. आधार नंबर :------------------------------
11. शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

12. अनुभव का विवरण (न्यूनतम वांछित अनुभव):-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

13. पंचायत संचालनालय अंतर्गत कार्य का अनुभव का विवरण :-

क्र.	राज्य/जिला/वि.ख का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

14. वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी विवरण (यदि हो तो):-

क्र.	राज्य/जिला/वि.ख का नाम	पदनाम	विभाग/संस्था का नाम	नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

15. वैवाहिक स्थितिः-
(क) विवाहित/अविवाहित :-------------------------
(ब) विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरा जाये :------------------
विवाह का दिनांक :-------------------------
(ग) परिवार में संतानों की संख्या :-------------------------

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-
1.--------------- 2.---------------
3.--------------- 4.---------------
5.--------------- 6.---------------
स्थानः--------------
दिनांकः-------------

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नामः--------------

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने सभा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान-------
दिनांक------

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नामः--------------

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204, वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/486/02/परीक्षा/2025 नवा रायपुर, दिनांक 05/05/2025

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025 की

सूचना

विज्ञापन क्रमांक 03/2024/परीक्षा दिनांक 26.11.2024
राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024
ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 06.05.2025 से 05.06.2025
ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि 06.06.2025 से 07.06.2025
मुख्य परीक्षा की तिथि 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2024/परीक्षा दिनांक 26.11.2024 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2024 के माध्यम से 17 सेवाओं हेतु कुल 246 पद विज्ञापित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत दिनांक 09/02/2025 को राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में किया गया था।

02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दिनांक 06.05.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से 05.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। दिनांक 06.06.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 07.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे) तक आवेदक अपने मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। इस हेतु पोर्टल शुल्क + जी.एस.टी. शुल्क देय होगा। आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में केवल एक बार ही निःशुल्क त्रुटि सुधार कर सकेंगे। दिनांक 07.06.2025 के बाद किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 तथा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन में दी गई जानकारी, साक्षात्कार के पूर्व मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा। (ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विस्तृत जानकारी "परिशिष्ट-एक" पर संलग्न है।)

03. आवेदन करने हेतु आवेदक क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से शुल्क भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।

04. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आवेदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 हेतु निम्नानुसार आवेदन, परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगाः-

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए	**रुपये 400/-**
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के समस्त आवेदकों को पोर्टल शुल्क + जी.एस.टी. शुल्क भी देना होगा	

उपरोक्त आवेदन, परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रुप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है।

05. मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा-2024 के विस्तृत विज्ञापन जो रोजगार और नियोजन के अंक दिनांक 04.12.2024 में प्रकाशित है। आवेदक उक्त विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ही ऑनलाइन आवेदन करें।

06. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 की समय सारिणी पृथक से जारी की जा रही है।

07. आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु जारी किए जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर भी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2024 की समय सारिणी उपलब्ध रहेगी।

सही/-
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर,
अटल नगर (छत्तीसगढ़)

आर.ओ.39/जी-252600668/4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2025/परीक्षा/दिनांक 22/04/2025

::विज्ञापन::

मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर मनोरोग (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28/04/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे । किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं । परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा । अभ्यआर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है ।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्कं व पोर्टल शुल्क् का भुगतान ऑनलाइन माध्य म से किया जाना है । परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
4. उपरोक्ता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/04/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे ।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/05/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/05/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 02/06/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त शुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त शुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास में सुधार कर "नहीं'' का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास/मूल निवास में "हां'' के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यारण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित हैः-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**मनोरोग विशेषज्ञ (बैकलॉग)**	-	1	3	2	-	-	-	-	-	06	67300 (स्तर-13)
2	**पैथोलॉजी विशेषज्ञ (बैकलॉग)**	-	-	-	1	-	-	-	-	-	01	
3	**क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट**	5	1	4	2	1	-	1	-	-	12	56100 (स्तर-12)
4	**काउंसलर मनोरोग**	1	-	1	-	-	-	-	-	-	02	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमशः

महत्वपूर्ण टीपः-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है ।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA,OL) ही मान्य होंगे ।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'दो' में उल्लेखित है ।
5. रिक्तियों में आरक्षणः-

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

(2.A) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- मनोरोग विशेषज्ञ

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि (मान्यवता प्राप्तृ विश्वरविद्यालय से स्नाततकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सार परिषद से मान्यिता प्राप्तक हो)

(ख) अभ्यायर्थी के डिग्री/डिप्लोबमा का छत्तीतसगढ़ या अन्यत राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्साप परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.B) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- पैथोलॉजी विशेषज्ञ

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नाभतकोत्यर उपाधि अथवा पत्रोपाधि
(मान्यवता प्राप्तृ विश्व विद्यालय से स्नाषतकोत्तभर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सि परिषद से मान्यरता प्राप्त हो)

(ख) अभ्ययर्थी के डिग्री/डिप्लोमा का छत्तीभसगढ़ या अन्यप राज्योंं के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्साप परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.C) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- क्लीवनिकल साइकोलॉजिस्टत

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) क्लीणनिकल साइकोलॉजी में स्नोतकोत्तगर उपाधि अथवा राष्ट्री य आयुर्विज्ञान आयोग से मान्य ता प्राप्ता कोई अन्यअ समतुल्य अर्हता ।

(2.D) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नाम :- काउंसलर मनोरोग

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्नोतकोत्तगर उपाधि अथवा पत्रोपाधि या राष्ट्री य आयुर्विज्ञान आयोग से मान्य ता प्राप्तम कोई अन्यत समतुल्या अर्हता ।

(3) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) पृथक-पृथक पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।

(4) निर्धारित आयु सीमाः-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को मनोरोग विशेषज्ञ एवं पैथोलॉजिस्टन विशेषज्ञ पद हेतु 25 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो एवं क्लीतनिकल साइकोलॉजिस्टी एवं काउंसलर मनोरोग पद हेतु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः- ''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा

क्रमशः

में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी ।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है । अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा ।

(c) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी ।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाहनीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा ।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है । जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कारर की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए ।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र ।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र ।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

क्रमशः

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।
(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।
(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।
(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-
(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।
परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।
परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।
(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
(10) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।
टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-
(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।
(ii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा ।
(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा ।
(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं ।
नोटः- अभ्यनर्थियों की संख्यो को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्था।न पर कम्यूक्षाटर बेस्ड टेस्टा (CBT) आयोजित कर सकेगा ।
(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा । सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।
(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा ।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थाधनीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा । छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी ।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।
(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।
(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।
(13) परीक्षा के संबंध मेंः- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी ।
(14) **अत्यन्त महत्वपूर्णः-**
(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें ।
(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है ।
(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए । अपना सह लेखक

क्रमशः

लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है । परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा । स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे ।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा । उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी । जिन अभ्यजर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें । जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी ।

(15) **यात्रा व्यय का भुगतानः-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा ।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो ।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो ।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा ।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी । यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए ।

(18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सत्त अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा ।

(19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा ।

(20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :-
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी....................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः
दिनांकः

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

क्रमशः

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (येदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः

दिनांकः

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के......................... (जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थानः

दिनांकः

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का नाम) के.....................(जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि ....(लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता ....है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थानः

दिनांकः

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -------------------------------

विषयः- आयोग द्वारा आयोजित --------------------------------- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ------------ पिता श्री ----------आयोग द्वारा आयोजित --------परीक्षा दिनांक ---------- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (------ प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री ----पिता श्री ------को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री --------पिता श्री ---------------को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ---------------------------------

अभ्यर्थी का नाम -------------------------------------

अभ्यर्थी का ई-मेल ----------------------------------

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ---------------------------

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम ....वर्ष...
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) ....
3. परीक्षा का दिन व समय ....
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम ....
5. अभ्यर्थी का नाम ....
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक ....
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम ....
8. सह लेखक का नाम ....
9. सह लेखक के पिता का नाम ....
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

स्व-घोषणा पत्र

मैं .... निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता .... है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ अगुंठे का निशान	केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व केंद्र की सील

परिशिष्ट-एक

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैः- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्ययर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यभर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यकर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चकर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टकर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त् होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई

क्रमशः

दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

(i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे। ■

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(अनुसूची-ए मिनीरल-श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम)

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यपालकों (वायु यातायात नियंत्रण) की भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2025/सीएचक्यू

1. सामान्य जानकारी एवं रिक्तियां

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे देश में जमीन और वायु क्षेत्र दोनों में नागर विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाविप्रा को मिनी रत्न श्रेणी-1 का दर्जा प्रदान किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निम्नलिखित पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण									
	कुल	यूआर	ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	(सम्मिलित रिक्तियां) पीडब्ल्यूबीडी			
							(ए)	(बी)	(सी)	(डी एवं ई)
कनिष्ठ कार्यपालक (वायु यातायात नियंत्रण)	309	125	30	72	55	27	00	00	07	00

रिक्त पदों की संख्या अनंतिम है और भाविप्रा के विवेकाधिकार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

प्रयुक्त संक्षिप्तियां : यूआर = अनारक्षित । ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग । ओबीसी (एनसीएल) = अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) । एससी = अनुसूचित जाति । एसटी = अनुसूचित जनजाति । पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क दिव्यान्गजन । पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए), (बी), (सी), (डी) और (ई): कृपया नीचे पैरा-2 में उल्लिखित बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियों को देखें।

2. बेंचमार्क दिव्यांगताओं की उपयुक्त श्रेणियां और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए उपयुक्त चिन्हित पद हेतु कार्यात्मक आवश्यकताएं

कार्यात्मक आवश्यकताएं	बेंचमार्क विकलांगता की उपयुक्त श्रेणियां				
	ए	बी	सी	डी	ई
एस, एसटी, बीएन, एच, सी, आरडब्ल्यू, एसई, एमएफ	-	-	एसिड अटैक पीड़ित (एटीसी लाइसेंस के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों के अधीन और मांसपेशियों की मूवमेंट में प्रमुख बाधा के बिना)	-	-

प्रयुक्त संक्षिप्तियां : एस=बैठना / एसटी=खड़े होना / बीएन=झुकना / एच=सुनना / सी=संप्रेषण / आरडब्ल्यू=पढ़ना और लिखना / एसई=देखना / एमएफ=उंगलियों द्वारा कार्यसाधन

नोट :

(i) पद के लिए उपयुक्त चिह्नित दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित की जाएगी।

(ii) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए चिन्हित किए गए पद पर नियुक्ति से पहले प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित संबंधित कार्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्तता के लिए उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

3. शैक्षिक योग्यता

भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान (बी.एससी) में तीन वर्ष की पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री या किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित स्नातक की डिग्री। (सेमेस्टर पाठ्यक्रम में किसी एक सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय के रूप में होना चाहिए)।
आवेदक के पास 10+2 स्तर की अंग्रेजी की मौखिक और लिखित, दोनों की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए (आवेदक द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए)।

नोट :

(i) डिग्री निम्नानुसार होनी चाहिए :

(ए) किसी मान्यता प्राप्त/मान्य विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्थान अर्थात (आईआई टी/आईआई एम/एक्सएलआरआई/टीआईएसएस आदि) से; तथा

(बी) अंकों का प्रतिशत: - स्नातक डिग्री में उत्तीर्ण अंक या समकक्ष।

(ii) जिन पदों के लिए आवश्यक योग्यता इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है, उनके लिए बी. ई./ बी. टेक./ बी. एससी. (इंजी.) डिग्री वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति है ।

(iii) जिन विभागीय उम्मीदवारों के पास अंशकालिक/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं वे आवेदन करने के पात्र होंगे।

4. आयु सीमा एवं छूट

(i) **आयु सीमा:**

24.05.2025 को अधिकतम 27 वर्ष की आयु।

(ii) **आयु में छूट:**

(ए) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में **5 वर्ष** और ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए **3 वर्ष** की छूट है। ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियां, इस विषय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित उम्मीदवारों के लिए हैं।

(बी) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में **10 वर्ष** की छूट है, जहां दिव्यांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए पद चिन्हित किया गया है, साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा **24.05.2025** को या उससे पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(सी) भूतपूर्व सैनिक और कमीशन प्राप्त अधिकारी जिनमें आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी या अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा की है और सेवामुक्त हुए हैं -

(1) नियत कार्य के पूरा होने पर (इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका नियत कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा होना है) कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या कार्यमुक्ति के अलावा;

या

(2) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता या अमान्यता के कारण

ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम **05 वर्ष** की छूट दी जाएगी।

(डी) वे उम्मीदवार जो भाविप्रा की नियमित सेवा में हैं और जिन्होंने प्रारंभिक नियुक्ति पर अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है, उनको ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम **10 वर्ष** की छूट दी जाएगी ।

(ई) केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी। बाद में जन्म तिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण	दिनांक
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	25.04.2025
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि	24.05.2025
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तिथि	भाविप्रा की वेबसाइट www.aai.aero पर घोषित की जाएगी

6. पारिश्रमिक

(i) **वेतनमान (आईडीए) :**

कनिष्ठ कार्यपालक [ग्रुप-बी: ई-1 लेवल]: रु.40,000 - 3% - 1,40,000

(ii) **परिलब्धियां :**

मूल वेतन के अतिरिक्त, महँगाई भत्ता, मूल वेतन के 35% की दर से अनुलब्धियाँ, मकान किराया भत्ता और अन्य लाभ जिनमें सीपीएफ, ग्रेच्यूटी, सामाजिक सुरक्षा योजना, चिकित्सा लाभ आदि सम्मिलित हैं, भाविप्रा नियमों के अनुसार ग्राह्य होंगे।

कनिष्ठ कार्यपालक के पद के लिए वार्षिक सीटीसी लगभग रुपये 13 लाख होगा।

(iii) वेतन संरक्षण उन पात्र उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जो एएआई में शामिल होने से ठीक पहले अन्य सीपीएसई/राज्य पीएसयू/सरकारी विभागों से उचित माध्यम से आएंगे। इस तरह का वेतन संरक्षण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

7. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले केवल भारतीय नागरिक ही उपर्युक्त पद के लिए आवेदन कर सकते है।

(ii) कट-ऑफ तिथि पर अंतिम सेमेस्टर (जहां सेमेस्टर-प्रणाली लागू है)/अंतिम वर्ष (जहां वर्ष-प्रणाली लागू है) में नामांकित उम्मीदवारों को केवल इस शर्त के अधीन आवेदन करने की अनुमति है कि आवेदन सत्यापन के समय उनके पास अंतिम परिणाम होना चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। परिणाम की घोषणा/अंक तालिका जारी करने की तिथि को योग्यता प्राप्त करने की तिथि माना जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं होगी। इस संबंध में आगे और किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी ।

(iii) आयु एवं अन्य सभी पात्रता मानदंड **24.05.2025** (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार माने जाएंगे।

(iv) **अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) प्रमाण पत्र:** अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार नोट करें कि आवेदन सत्यापन के समय, **वित्त वर्ष 2025-26** के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में जारी वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे ओबीसी की केन्द्रीय सूची में निर्दिष्ट ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं तथा ओबीसी की क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। उम्मीदवार को अपनी नियुक्ति से पहले एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ओबीसी की क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं ।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन के तहत आरक्षण लाभ हेतु पात्र होने के लिए समय रहते आवेदन करें और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जारी उपर्युक्त ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र प्राप्त करें । जो उम्मीदवार आवेदन सत्यापन के समय निर्धारित ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें संबंधित श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र (अर्थात ओबीसी की राज्य सूची से संबंधित) या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रवेश हेतु जारी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नोट करें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी **वित्त वर्ष 2025-26** के लिए वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन के तहत आरक्षण लाभ के लिए पात्र होने के लिए समय रहते आवेदन करें और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वैध उपरोक्त

क्रमशः

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जो उम्मीदवार आवेदन सत्यापन के समय निर्धारित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे, उन्हें संबंधित श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

(vi) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नोट करें कि उन्हें आवेदन सत्यापन के समय सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा **24.05.2025** को या उससे पहले जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) **दिव्यांगता प्रमाण पत्र:** पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें आवेदन सत्यापन के समय सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा **24.05.2025** को या उससे पहले जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(viii) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का चिन्हित पद पर नियुक्ति से पहले पद के सामने उल्लिखित संबंधित कार्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्तता के लिए भी मूल्यांकन किया जाएगा।

(ix) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन सत्यापन के समय सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(x) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। जाति के नाम में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदी/अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी प्रमाण-पत्र के लिए, नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(xi) जहां एक अर्हक डिग्री में एक आवश्यक योग्यता के रूप में एक विशिष्ट विषय अपेक्षित है और उसका विशिष्ट रूप से उसकी अंक तालिका (मार्कशीट) में उल्लेख नहीं है तो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/संस्थान से जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह पुष्टि करे कि उम्मीदवार ने अर्हक डिग्री में अपेक्षित विषय का अध्ययन किया है।

(xii) इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के संबंध में, उम्मीदवार को आवेदन सत्यापन के समय स्नातक की डिग्री के संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र और अंकों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जहाँ भी पद के लिए लागू हो ।

(xiii) उम्मीदवार को आवेदन के संबद्ध कॉलम में प्राप्त अंकों का प्रतिशत [निकटतम दो दशमलव तक परिकलित] विशेष रूप से इंगित करना होगा । जहां विश्वविद्यालय द्वारा अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि केवल सीजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई आदि प्रदान किए जाते हैं, वहाँ इस संबंध में विश्वविद्यालय के रूपांतरण मानदंडों के अनुसार उसे प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। आवेदन सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को अंकों के समकक्ष प्रतिशत को प्रमाणित करने वाला विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

8. चयन प्रक्रिया

(i) उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और यह सुनिश्चित करे कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता/करती है। गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा और भाविप्रा ऐसी गलत/असत्य सूचना देने के किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(ii) कनिष्ठ कार्यपालक (वायु यातायात नियंत्रण) के पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर, अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें तदनुसार प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से एएआई वेबसाइट पर जाना होगा/अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर) की जांच करनी होगी।

(iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा किए गए गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या: 02/2025/CHQ के "पाठ्यक्रम" कॉलम के तहत अपलोड किया जाएगा।

(iv) कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर, उम्मीदवारों को आवेदन सत्यापन / वॉयस टेस्ट/ साइकोएक्टिव सबस्टांसिस परीक्षण / मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन / शारीरिक चिकित्सा परीक्षा/ पृष्ठभूमि सत्यापन (जैसा भी पद के लिए लागू हो) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(v) केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही आवेदन सत्यापन / वॉयस टेस्ट / साइकोएक्टिव सबस्टांसिस परीक्षण/ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन / शारीरिक चिकित्सा परीक्षा (जैसा भी पद के लिए लागू हो) के लिए बुलाया जाएगा।

(vi) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर केवल भाविप्रा वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भाविप्रा वेबसाइट/ अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर) को नियमित रूप से देखना होगा ।

(vii) आवेदन सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को पहचान के प्रमाण के साथ मूल प्रमाण पत्र और सभी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है या वह अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है या दस्तावेजों में जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(viii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन सत्यापन के समय वर्तमान नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा । अन्य दावे जैसे चयन की स्थिति में त्यागपत्र देने की घोषणा, आवेदन किए गए एनओसी/त्यागपत्र की पावती प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र आदि को एनओसी के स्थान पर नहीं माना जाएगा।

(ix) साइकोएक्टिव सबस्टांसिस परीक्षण में निम्नलिखित साइकोएक्टिव सबस्टांसिस के होने की की जांच की जाएगी और इसके लिए परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक होनी चाहिए:

(ए) एम्फेटेमिन और एम्फेटेमिन प्रकार के उतेजक

(बी) ओपियेट्स और मेटाबोलाइट्स

(सी) कैनबिस (मारिजुआना) टीएचसी के रूप में

(डी) कोकेन

(ई) बार्बिटुरेट्स

(एफ) बेंजोडायजेपाइन

साइकोएक्टिव पदार्थों के उपभोग की पुष्टि के लिए किया गया नॉन - नेगेटिव स्क्रीनिंग परीक्षण का परिणाम पुष्टिकरण परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। साइकोएक्टिव पदार्थों के उपभोग के लिए नॉन - नेगेटिव स्क्रीनिंग परीक्षण के बाद पुष्टिकरण परीक्षण में सकारात्मक पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें चयन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसा उम्मीदवार भाविप्रा में कनिष्ठ कार्यपालक (वायु यातायात नियंत्रण) पद के लिए रोजगार का दावा करने का अपना अधिकार खो देगा।

(x) उम्मीदवारों का अनंतिम चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार होगा, जो साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन के लिए नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट, वॉयस टेस्ट को उत्तीर्ण करना, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण, शारीरिक चिकित्सा परीक्षा और पृष्ठभूमि सत्यापन सहित के अधीन है, जैसा कि पद के लिए लागू है, और पद के लिए निर्धारित अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।

(xi) भाविप्रा वेबसाइट पर नियुक्ति के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर घोषित किए जाएंगे। अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर/ऑफर लेटर के बारे में विवरण उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी/भाविप्रा वेबसाइट द्वारा भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को अपने ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के लिए भाविप्रा वेबसाइट /उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर) को नियमित रूप से देखना होगा।

(xii) पृष्ठभूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे एवं चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसके दौरान उन्हें अन्य स्वीकार्य भत्तों के साथ मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 03 साल तक की अवधि तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपनी सेवा प्रदान करने के संबंध में सात लाख रुपये की राशि का जमानत बांड निष्पादित करना होगा।

(xiii) चयन होने पर, उम्मीदवार को लाइसेंस या रेटिंग जारी करने के उद्देश्य से ICAO भाषा न्यूनतम दक्षता स्तर 4 (प्रचालन) भी प्राप्त करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण के दौरान ICAO प्रवीणता स्तर 4 या उससे ऊपर का स्तर नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

(xiv) उम्मीदवारों का चयन अनंतिम होगा, जो पात्रता मानदंड, चरित्र और पूर्ववृत्त / पृष्ठभूमि जाँच, जाति प्रमाण-पत्र/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र/ ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र/ एससी प्रमाण पत्र/ एसटी प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाण पत्र एवं उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा और जो भाविप्रा के नियमों के तहत पद के लिए अपेक्षित चिकित्सा मानकों और नियुक्ति के लिए लागू अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन भी होगा ।

(xv) चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

9. कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई

(i) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सही जानकारी प्रस्तुत करें और "ऑन-लाइन" आवेदन भरते समय ऐसे कोई भी दस्तावेज/जानकारी प्रदान न करें जो असत्य, हेर फेर किए हुए, मनगढ़ंत हो या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं।

(ii) भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यदि कोई उम्मीदवार किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है जैसे:

(ए) अनुचित साधनों का उपयोग करना या अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना; या

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा पररूपण (इंपरसोनेशन)प्राप्त करना या पररूपण (इंपरसोनेशन) करना; या

(सी) चयन प्रक्रिया के दौरान अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित साधन का सहारा लेना; या

(डी) किसी भी रूप में पक्ष प्रचार (कैनवासिंग)करना/ किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना; या

(ई) झूठे प्रमाण पत्र/दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करना या किसी भी स्तर पर किसी जानकारी को छिपाना; या

(एफ) परीक्षा में उपस्थित होते समय या उसके पश्चात अपनी श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग जन/भूतपूर्व सैनिक/भाविप्रा प्रशिक्षु) के बारे में गलत जानकारी देना; या

(जी) भर्ती प्रक्रिया के दौरान परीक्षा हॉल/किसी अन्य स्थान पर दुर्व्यवहार करना या परीक्षा सामग्री या उसकी किसी भी जानकारी को किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यंत्रवत् किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी रूप में पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, प्रसारित करना, संचयन करना या संचयन और प्रसारण करने में सहयोग करने और भंडारण की सुविधा प्रदान करना; या

(एच) परीक्षा के दौरान या उसके बाद परीक्षा परिणामों को प्रभावित करने के लिए अनुचित/ बाहरी प्रभाव डालना; या

(आई) परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या ऐसे सम्प्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना;

उनकी उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो गई हो तो, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी| इसके अतिरिक्त, जैसा उचित हो, कोई भी अन्य कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी|

10. आवेदन कैसे करें

(i) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है/करती है। गलत/असत्य जानकारी देना अयोग्यता मानी जाएगी और ऐसी गलत/ असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के किसी भी परिणाम के लिए भाविप्रा उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वे निम्नलिखित अनुदेशों को और ऑनलाइन आवेदन के मुख्य अनुदेश पृष्ठ पर दिए गए सभी अनुदेश ध्यान से पढ़ें :

(ए) उम्मीदवारों को www.aai.aero पर "कैरियर" टैब के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम / तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(बी) अपूर्ण आवेदन को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(सी) उम्मीदवारों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन्हें सक्रिय रखा जाना चाहिए। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे भाविप्रा की ओर से किसी भी सूचना के लिए अपनी ई-मेल/भाविप्रा की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

(डी) ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारम्भ करने से पूर्व, उम्मीदवार निम्नलिखित विवरण/ दस्तावेजों/सूचनाओं को तैयार रखें : -

क्रमशः

(1) वैध ई-मेल आईडी: ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज ई-मेल आईडी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रहनी चाहिए। एक बार पंजीकृत होने के पश्चात ई-मेल आईडी में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस भर्ती के संबंध में, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र और यदि शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना सहित सभी प्रकार का पत्राचार पंजीकृत ईमेल आई डी/भाविप्रा वेबसाइट द्वारा किया जायेगा ।

(2) आवेदन में अपलोड करने हेतु नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ (03 महीने से अधिक पुराने न हो) की स्कैन की हुई कॉपी और डिजिटल प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (नीचे दिए गए आयामों के अनुसार) ।

(3) पात्रता मानदंड से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज/विवरण जैसे शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र [एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)], ईडब्लूएस प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिकों के मामले में सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, भाविप्रा से प्रशिक्षु प्रमाण पत्र, आदि।

(4) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान करने हेतु विवरण/ दस्तावेज।

(ई) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे किसी समाचार पत्र/वेबसाइट/मोबाइल ऐप आदि में आने वाले गलत विज्ञापनों का उत्तर न दें। किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता के लिए, उम्मीदवार केवल भाविप्रा की वेबसाइट www.aai.aero पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन को ही देखे ।

11. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग के संबंध में निर्देश

उम्मीदवार द्वारा अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपलोड किया जाए:

(i) **फोटोग्राफ की छवि :**

(ए) सफ़ेद बैकग्राउंड वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करें (3 महीने से अधिक पुराना न हो)।

(बी) टोपी/हैट/काले चश्मे में फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं होगा। धार्मिक शिरोवस्त्र (हेडवियर) की अनुमति है लेकिन इससे चेहरा ढका नहीं होना चाहिए।

(सी) फोटोग्राफ छवि. जेपीजी अथवा .जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए ।

(डी) छवि के आकार और आयाम के लिए कृपया आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें ।

(ii) **हस्ताक्षर की छवि :**

(ए) आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के कलम से हस्ताक्षर करने होंगे।

(बी) केवल आवेदक का ही हस्ताक्षर होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं।

(सी) केवल हस्ताक्षर क्षेत्र को ही स्कैन करें, पूरे पृष्ठ को नहीं।

(डी) हाल ही के हस्ताक्षर .जेपीजी अथवा .जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करें ।

(ई) छवि के आकार और आयाम के लिए कृपया आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें ।

12. आवेदन शुल्क और जमा करने का माध्यम

(i) उम्मीदवारों द्वारा रु 1000/-(रुपये एक हजार मात्र) (जीएसटी सहित) के आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के द्वारा किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग जनों/ भाविप्रा में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं/महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है ।

(ii) आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ सएकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

(iii) सबमिट बटन पर क्लिक करने पर, उम्मीदवार को एसबीआई ई-पे लाइट भुगतान पोर्टल पर ले जाया जाएगा। उम्मीदवारों को अपेक्षित परीक्षा शुल्क इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। चयनित 'भुगतान के तरीके' के लिए लागू शुल्क/ कमीशन की जांच करें, जिसे उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान पूरा होने के बाद, उम्मीदवार पुन: स्वचालित रूप से आवेदन पोर्टल पर पहुँच जाएगा। उम्मीदवार जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें सकते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए उन्हें इस प्रिंटआउट को अपने पास रखने की सलाह दी जाती है। भाविप्रा कार्यालय को प्रिंटआउट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(v) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दोहरा(डुप्लीकेट) भुगतान, यदि कोई हो, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात वापस कर दिया जाएगा।

(vi) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अपने ट्रांजेक्शन के पूर्ण होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

13. सामान्य निर्देश

(i) आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता /करती है । अंत में इसे जमा करने से पहले उसे आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, जैसे जन्म तिथि, श्रेणी, उप श्रेणी [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/दिव्यांग जन /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक], लिंग, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं आदि की जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि बाद में किसी सुधार की संभावना नहीं होगी ।

(ii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने की बजाए उससे बहुत पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर लें ताकि इंटरनेट पर भारी लोड/वेबसाइट जाम/डिस्कनेक्शन के कारण भाविप्रा की वेबसाइट पर लॉग इन करने में डिसकनेकशन /अक्षमता /विफलता की संभावना से बचा जा सके|

(iii) उपरोक्त कारणों से या भाविप्रा के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों के अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने के लिए भाविप्रा उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरे भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का स्थान बढ़ाया या घटाया जा सकता है और उस स्थिति में, उम्मीदवारों को उनके द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तिथि/ सत्र में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) परीक्षा आयोजन के दौरान समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा देने और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। परीक्षा पुन: आयोजित करना भाविप्रा के पूर्ण विवेक पर आधारित है। आवेदक के पास पुन: परीक्षा का कोई दावा नही होगा। जो उम्मीदवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या परीक्षा देने की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें प्रक्रिया से पूर्णत: अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(vi) पात्रता मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद पर चयन का तरीका आदि के संबंध में भाविप्रा प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। केवल न्यूनतम योग्यता और कार्य की आवश्यकता को पूरा करने से उम्मीदवारों को आवेदन सत्यापन के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा| अपात्र पाए गए और आवेदन के सत्यापन के लिए नहीं बुलाये गए उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा|

(vii) भाविप्रा के पास आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई और नोटिस जारी किए या कोई भी कारण बताए बिना, जो भी हो, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/बदलने/सीमित/विस्तारित/ रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है । भाविप्रा प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों के साथ समस्त पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा और सभी सामान्य जानकारी भाविप्रा वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी । कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र/आवेदन सत्यापन के लिए कॉल लेटर/ नियुक्ति प्रस्ताव/ कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई अमान्य/गलत ईमेल आईडी के कारण मेल के प्राप्त न होने अथवा उम्मीदवार द्वारा मेल (स्पैम सहित सभी फ़ोल्डर्स)/भाविप्रा वेबसाइट पर समय पर एक्सेस न करने के कारण देरी/ सूचना प्राप्त न होना, के लिए भाविप्रा जिम्मेदार नहीं होगा।

(ix) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है या इस विज्ञापन में उल्लिखिल पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो पंजीकृत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती /कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी अस्वीकार की जा सकती है । यदि वर्तमान में चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी मामले का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में ज्ञात होता है, तो पूर्वव्यापी प्रभाव से चयनित उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा ।

(x) केंद्र सरकार /राज्य सरकार/स्वायत निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार के वेतन/छुट्टी वेतन/पेंशन योगदान आदि, यदि कोई हो, के मामले में भाविप्रा कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xi) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(xii) किसी भी विवाद के लिए न्याय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(xiii) इस भर्ती से संबंधित सभी भावी पत्राचार/सूचना भाविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने ई-मेल अकाउंट की जांच करें और आगे की अद्यतन जानकारी के लिए भाविप्रा की वेबसाइट **www.aai.aero** देखें।

(xiv) विज्ञापन में किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में, रोजगार सूचना के अंग्रेजी संस्करण को वैध माना जाएगा।

(xv) कंप्यूटर आधारित परीक्षा द्विभाषी होगी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में, भाषा की परीक्षा को छोड़कर।

कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं बलौदाबाजार (छ०ग०)

दूरभाषः-07727-299404 Email-ID nagarsenabalodabazar@gmail.com

// सूचना//

छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग के रायपुर संभाग के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले हेतु 55 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना

नगर सेना विभाग के रायपुर संभाग के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 55 महिला नगर सैनिक (छात्रावास ड्यूटी) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2024 में शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा संभागीय केन्द्र रायपुर में आयोजित की गई थी। जिसमें पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये चयनित किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट https://firenoc.cg.gov.in/ पर उपलब्ध है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिये https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर पंजीयन करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा आबंटित एप्लीकेशन आईडी एवं जन्मतिथी डालकर अभ्यर्थी छ०ग० व्यापम की वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे। व्यापम द्वारा पंजीयन नंबर पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। जिन पात्र अभ्यर्थी द्वारा छ०ग० व्यापम के वेबसाईट में जाकर पंजीयन एवं सबमिट नहीं किया जायेगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा नगर सेना विभाग के वेबसाईट पर पूर्व में जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाईट पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य है लिखित परीक्षा कार्यकम निम्नानुसार है:-

1	व्यापम वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि	16.04.2025 (बुधवार)
2	व्यापम वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि	30.05.2025(शुक्रवार) शाम 05:00 बजे तक
3	परीक्षा की संभावित तिथि	22.06.2025 (रविवार)
4	परीक्षा का समय	पूर्वान्ह (02 घण्टे)
5	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	13.06.2025 (शुक्रवार)
6	परीक्षा केन्द्र	रायपुर

जिला सेनानी नगर सेना एवं
जिला अग्निशमन अधिकारी,
बलौदाबाजार

आर.ओ.40/जी-252600852.4

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NATIONAL REMOTE SENSING CENTRE
बालानगर, हैदराबाद BALANAGAR, HYDERABAD 500 037

विज्ञापन सं./एन.आर.एस.सी./आर.एम.टी. Advt.No/NRSC/RMT/1/2025 **दिनांक DT. 10.05.2025**

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के प्रमुख केंद्रों में से एक है. एनआरएससी के पास उपग्रह डेटा प्राप्त करने हेतु भू-केंद्रों की स्थापना, डेटा उत्पादों के जनन, उन्हें प्रयोक्ताओं को वितरित करने, आपदा प्रबंधन सहायता, सुशासन हेतु भू-स्थानिक सेवाओं और व्यावसायियो, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के क्षमता निर्माण सहित सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिए तकनीक के विकास का अधिदेश है. एनआरएससी देश की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुदूर संवेदन डेटा तथा अनुप्रयोग संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई परिसरों के माध्यम से कार्य करता है.

National Remote Sensing Centre (NRSC) is one of the primary centres of Indian Space Research Organisation (ISRO), Department of Space. NRSC has the mandate for establishment of ground stations for receiving satellite data, generation of data products, dissemination to the users, development of techniques for remote sensing applications including disaster management support, geospatial services for good governance and capacity building for professionals, faculty and students. NRSC operates through multiple campuses to meet national and regional remote sensing data and applications needs of the country.

एन.आर.एस.सी. निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है.
NRSC invites ONLINE applications for the following posts:

क्र. सं. Sl. No.	पद का नाम Name of the Post	पद कोड Post Code	विशेषज्ञता Specialization	पदों की संख्या No. of Posts	आवश्यक योग्यता Essential Qualifications
01	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	20	वन एवं पारिस्थितिकी Forestry & Ecology	02	वनस्पति विज्ञान/वानिकी/ पारिस्थितिकी में **बी.एस.सी.** के साथ वनस्पति विज्ञान/ वानिकी में **एम.एस.सी.** या समकक्ष **M.Sc** in Botany / Forestry or equivalent With **B.Sc** in Botany / Forestry / Ecology
02	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	21	भूसूचना Geoinformatics	02	भौतिकी/गणित में **बी.एस.सी.** के साथ भूसूचना (जियोइंफॉर्मेटिक्स) में **एम.एस.सी.** या समकक्ष **M.Sc** in Geoinformatics or equivalent With **B.Sc** in Physics/ Maths
03	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	22	भूविज्ञान Geology	05	भूविज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में **बी.एस.सी.** के साथ भूविज्ञान / अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में **एम.एस.सी.** या समकक्ष **M.Sc** in Geology / Applied Geology or equivalent With **B.Sc** in Geology / Applied Geology
				उपरोक्त में से, 01 पद श्रेणी-बी (बैकलॉग रिक्ति) के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित है. Out of the above, 01 post is identified for Persons with Benchmark Disabilities against Category-B (Backlog Vacancy)	
04	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	23	भूभौतिकी Geophysics	02	भौतिकी/गणित/भूविज्ञान में **बी.एस.सी.** के साथ भूभौतिकी में **एम.एस.सी.** या **एम.एस.सी. टेक** या समकक्ष **M.Sc / M.Sc Tech** in Geophysics or equivalent With **B.Sc** in Physics / Maths / Geology
05	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	24	शहरी अध्ययन Urban Studies	06	नियोजन में **बी.ई./ बी.टेक** या **बी. आर्क** के साथ शहरी नियोजन/क्षेत्रीय नियोजन में **एम.ई./ एम.टेक** या समकक्ष **M.E / M.Tech** in Urban Planning / Regional Planning or equivalent With **B.E/ B.Tech** in Planning or **B.Arch**
				उपरोक्त में से, 01 पद श्रेणी-सी (बैकलॉग रिक्ति) के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित है. Out of the above, 01 post is identified for Persons with Benchmark Disabilities against Category-C (Backlog Vacancy)	
06	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	25	जल संसाधन Water Resources	04	सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक के साथ सिविल इंजीनियरिंग (जल संसाधन/जल विज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण में विशेषज्ञता के साथ) **(या)** कृषि इंजीनियरिंग (जल संसाधन/जल विज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण में विशेषज्ञता के साथ) **(या)** जल संसाधन इंजीनियरिंग में (जल संसाधन/जल विज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण में विशेषज्ञता के साथ) **एम.ई./एम.टेक** **M.E/ M.Tech** in Civil Engineering (with specialization in Water Resources/ Hydrology/ Soil & Water Conservation) **(Or)** Agriculture Engineering (with specialization in Water Resources/ Hydrology/Soil & Water Conservation)/ **(Or)** Water Resources Engineering (with specialization in Water Resources/ Hydrology/Soil & Water Conservation) With **B.E/ B.Tech** in Civil Engineering / Agriculture Engineering
				उपरोक्त में से, 01 पद श्रेणी-ए (बैकलॉग रिक्ति) के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित है. Out of the above, 01 post is identified for Persons with Benchmark Disabilities against Category-A (Backlog Vacancy)	
07	वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' SCIENTIST/ENGINEER 'SC'	26	भूसूचना Geoinformatics	10	कम्प्यूटर विज्ञान/भूसूचना में **बी.ई. / बी. टेक** के साथ सुदूर संवेदन एवं जी.आई.एस/ भूसूचना/ कृत्रिम बुद्धिमता एवं मशीन लर्निंग या समकक्ष में **एम.ई./ एम.टेक** **M.E / M.Tech** in Remote Sensing and GIS / Geoinformatics / Artificial Intelligence & Machine Learning or equivalent With **B.E/ B.Tech** in Computer Science / Geoinformatics
				उपरोक्त में से, श्रेणी-डी और ई (बैकलॉग रिक्ति) के अंतर्गत 01 पद बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित है. Out of the above, 01 post is identified for Persons with Benchmark Disabilities against Category-D & E (Backlog Vacancy)	

पात्रता मानदंड, विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृपया **https://www.nrsc.gov.in** देखें.
For eligibility criteria, detailed advertisement and to apply Online please visit **https://www.nrsc.gov.in**

याद रखने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां Important Date(s) to Remember:

ऑनलाइन पंजीकरण की आरंभिक तिथि Opening Date for On-line Registration:	**10.05.2025 (1000 बजे Hrs)**
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि Closing Date for On-line Registration:	**30.05.2025 (1700 बजे Hrs)**

"सरकार ऐसे कार्यबल की तलाश में है जिसमें लिंग संतुलन हो तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"
"Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply".

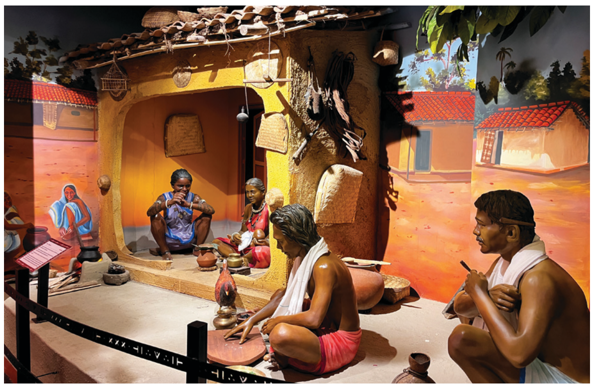

आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जीवनशैली एवं लोक कला को समर्पित...

छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय

नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन के समीप बने छत्तीसगढ़ के पहले हाइटेक आदिवासी म्यूजियम का लोकार्पण 14 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। यह म्यूजियम जनजातीय समाज की ऐतिहासिक यात्रा, परंपराओं और विविधताओं को समर्पित एक जीवंत दस्तावेज भी है। छत्तीसगढ़ की 43 जनजातियों की जीवनशैली, परंपराएं, लोक विश्वास, वेशभूषा, त्योहार, हथियार, आभूषण और सांस्कृतिक विविधता को 14 गैलरियों में आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं, रहन-सहन, हथियार, वेशभूषा, गीत, नृत्य, त्यौहार, कृषि पद्धतियां और सांस्कृतिक मान्यताएं सब कुछ दर्शकों को अनुभव करने का अवसर देता है।

पुरखों की संघर्षगाथा का जीवंत प्रतीक

"यह म्यूजियम केवल ईंट–पत्थर की इमारत नहीं है। यह हमारी अस्मिता, हमारी आत्मा और हमारे पुरखों की संघर्षगाथा का जीवंत प्रतीक है। यह म्यूजियम छत्तीसगढ़ की आत्मा को सहेजने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास है।" – श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा युवाओं का मन

म्यूजियम पूरी तरह हाइटेक और इंटरएक्टिव बनाया गया है। यहां पर बड़ी स्क्रीन पर 3D व्यूइंग की सुविधा है, जिससे दर्शक प्रत्येक वस्तु और परंपरा को लगभग वास्तविक रूप में देख सकते हैं। हर गैलरी में कियोस्क लगाए गए हैं, जहां स्क्रीन पर स्पर्श करते ही संबंधित जनजाति की जानकारी, फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप उपलब्ध हो जाती है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय बोलियों में भी अनुवाद सुविधा उपलब्ध है। विशेष आकर्षण "डांस विद ट्राइब" सेक्शन है, जहां दर्शक स्वयं को कैमरे के माध्यम से आदिवासी वेशभूषा में देख सकते हैं। यह युवाओं और बच्चों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव बनता है, जिससे वे न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव भी महसूस करते हैं।

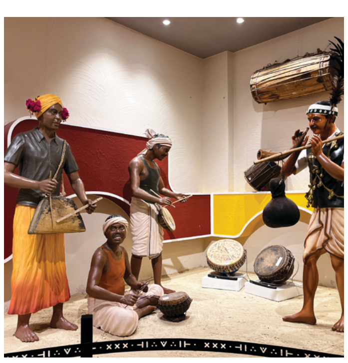

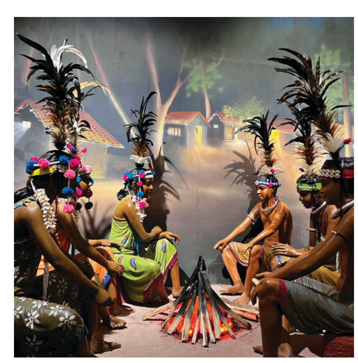

छत्तीसगढ़ शासन

सुशासन तिहार 2025

25 रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़

समस्याओं का समाधान
आपके शहर, आपके ग्राम

08 अप्रैल से 31 मई, 2025

प्रथम चरण:
समस्या संबंधी आवेदन
(08 से 11 अप्रैल, 2025)

द्वितीय चरण:
आवेदनों का निराकरण
(लगभग 01 माह)

तृतीय चरण:
समाधान शिविर
(05 से 31 मई, 2025)

संवाद से समाधान तक

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन से समृद्धि की ओर

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो